संख्याः 989/35–4–2014

प्रेषक,

पुष्पा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

नियोजन अनुभाग–4 लखनऊःदिनांक 05 सितम्बर, 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में छठी आर्थिक गणना के क्रियान्वयन हेतु आयोजनागत पक्ष में प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 435/ले0–28/2010, दिनांक 09.06.2014 एवं पत्र संख्याः 672/ले0–28/2010, दिनांक 05.08.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्याः एन–11015/7–2/2014/ESD-VIEC, दिनांक 03.06.2014 द्वारा वर्ष 2013–14 में छठी आर्थिक गणना, 2012 के क्रियान्वयन हेतु प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की गई कुल धनराशि रू0 73,48,63,250/– के सापेक्ष हुए व्यय रू0 63,54,52,394/–के पश्चात अवशेष बची धनराशि रू0 9,94,10,856/– को वर्ष 2014–15 में व्यय किये जाने के निमित्त नवीनीकृत कर दिया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्याः एन–11016/1–35/2011/ESD-VIEC, दिनांक 27.12.2012 के प्रस्तर–ई में दी गई व्यवस्था के दृष्टिगत नवीनीकृत कुल धनराशि रू0 9,94,10,856/– (रू0 नौ करोड़ चौरानबे लाख दस हजार आठ सौ छप्पन मात्र) को वर्ष 2014–15 में प्रगणकों को दिये जाने वाले मानदेय पर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की ~~स्वीकृति~~ श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– यह स्वीकृति वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः बी–1–2457/दस–2014–231/2014, दिनांक 22.07.2014 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मद के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) अन्य किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अतः व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन/अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आहरित धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

.....2–

5– शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–40 के लेखाशीर्षक–"3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाये–0102–छठी आर्थिक गणना का क्रियान्वयन (के0/रा0 के 100 प्रतिशत) –07–मानदेय" के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्याः बी–1–2457/दस–2014–231/2014, दिनांक 22.07.2014 के प्रस्तर–2(15) में उल्लिखित आदेशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

संख्याः 989 (1)/35–4–2014–तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं परीक्षा, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
6. नियोजन अंनुभाग–1
7. अनु सचिव, भारत सरकार योजना मंत्रालय सांख्यिकीय विभाग, 9वां तल, जीवन प्रकाश भवन, 25 के0जी0मार्ग, नई दिल्ली–110001
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल/संबंधित पत्रावली।

आज्ञा से,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।